दिनांक 21.08.2020
प्रेस विज्ञप्ति 27/20

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा कोरोना वायरस से रोकथाम हेतु निर्गत एडवाइजरी के दृष्टिगत की गयी कार्यवाही का विवरण

श्री एच0सी0 अवस्थी, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्त लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद उ0प्र0 को शासन द्वारा प्रदेश भर में कोरोना वायरस के रोकथाम हेतु निर्गत एडवाइजरी के दृष्टिगत कार्यवाही किये जाने के क्रम में निर्देश दिये गये है।

उक्त क्रम में अब तक की कार्यवाही का विवरण निम्नवत है:-

- चालान किये गये वाहनों की संख्या – 3439298
- सीज किये गये वाहनों की संख्या – 68882
- वसूले गये शमन शुल्क की धनराशि **रू0** – **66,31,10,499**
- धारा 188 भादवि के तहत पंजीकृत अभियोगों की संख्या – 195149
- ई0सी0 एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों की संख्या – 806

अन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 03 अभियुक्त लगभग 213 किलो ग्राम अवैध गांजा (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 12 लाख रूपये) सहित गिरफ्तार।

दिनांक 20–08–2020 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को जनपद मैनपुरी पुलिस के सहयोग से अन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर, लगभग 213 किलो ग्राम अवैध गांजा (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 12 लाख रूपये) बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

1– निवास विश्वास पुत्र नरायण विश्वास निवासी म0नं0–जे–682 गली नं0–2 साढे तीन पुस्ता करतार नगर थाना उस्मानपुर दिल्ली।

2– महेन्द्र सिंह पुत्र सत्यराम सिंह निवासी डी/60 सरूप विहार गली नं0–12 निकट ऑटो स्टैण्ड थाना सरूपनगर, नई दिल्ली।

3– राकेश गौर पुत्र श्रीचन्द गौर निवासी डी–110/4 गली नं0–5 गावडी एक्सटेन्शन भजपुरा थाना भजनपुरा दिल्ली।

गिरफ्तारी का दिनांक/समय व स्थान–

दिनांक 20–08–2020 समय 21.30 बजे, उपदेश सिंह डिग्री कालेज के सामने बन्द कोल्ड स्टोर के सामने खाली स्थान, बेवर–फर्रूखाबाद रोड थाना क्षेत्र बेवर जनपद मैनपुरी।

गिरफ्तार अभियुक्त से कुल बरामदगीः

1– लगभग 213 कि0ग्राम अवैध गांजा

2– 01 ट्रक अशोका लीलैण्ड नं0–यूपी–84टी/7468

3– 01 होण्डा अमेज कार नं0–यूपी–16सीटी/1122

4– 03 मोबाईल फोन।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से आन्ध प्रदेश, उडीसा, छत्तीसगढ़ राज्यों से मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले अपराधियों/तस्करों के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में पुलिस महानिरीक्षक

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 द्वारा एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ, उ0प्र0 लखनऊ **एवं पुलिस** अधीक्षक, एस0टी0एफ0, मेरठ के निर्देशन में एसटीएफ, फील्ड इकाई, गौतमबुद्धनगर की टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान एसटीएफ फील्ड इकाई गौतमबुद्धनगर की टीम को जरिये मुखबिर सूचना मिली कि दिनांक 20.08.2020 को आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ बार्डर से एक ट्रक में कुछ अवैध सामग्री की बड़ी खेप जनपद मैनपुरी के थाना बेवर क्षेत्र से होकर दिल्ली जाने वाली है। इस सूचना को विकसित करते हुए निरीक्षक श्री सचिन कुमार के नेतृत्व में एचसीपी मनीष उपाध्याय, कां0 भूपेन्द्र सिंह, कां0 मनीष कुमार, कां0 रोहित कुमार व कां0 अमित कुमार की एक टीम गठित कर त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना बेवर, जनपद मैनपुरी पुलिस को साथ लेकर मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुँचकर जनपद मैनपुरी के थाना बेवर क्षेत्रान्तर्गत उपदेश सिंह डिग्री कालेज के सामने बन्द कोल्ड स्टोर के सामने बेवर—फर्रूखाबाद रोड से उपरोक्त तीनों अभियुक्तों को समय लगभग 21.30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया, जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त निवास विश्वास उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि वह वर्ष 2015 से गांजा के अवैध धन्धे में लिप्त है, उससे पहले भी वर्ष 2016 में फरीदाबाद, हरियाणा पुलिस ने उसे अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा था जिसमें वह लगभग 03 वर्ष जेल में रहा था। बताया कि जेल से छूटने के बाद वह पुनः आन्ध्र प्रदेश, उडीसा व छत्तीसगढ बार्डर पर अवैध गांजा का व्यापार करने वालों से अवैध गांजा खरीदता है तथा ट्रक में किसी अन्य सामान के साथ दिल्ली ले जाकर बेचता है तथा दिल्ली में इस अवैध धन्धे में लिप्त लोगों को फुटकर में सप्लाई करता है। यह गांजा भी वह नक्सल प्रभावित क्षेत्र आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा व छत्तीसगढ़ बार्डर से खरीदकर ट्रक में कच्ची हल्दी लोड कराकर, हल्दी के बीच में गांजा छिपाकर लेकर आया था। दिल्ली बार्डर पर ट्रक के पकड़े जाने के डर से मैनपुरी में ट्रक को रोककर अपनी कार से

दिल्ली ले जाने वाला था। इस अवैध धन्धे में उसके साथ गिरफ्तार महेन्द्र सिंह व राकेश गौर भी संलिप्त रहते हैं। इस सम्बन्ध में इनके अन्य सहयोगियों के बारे में जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार उपरोक्त तीनों अभियुक्तों के विरूद्ध थाना बेवर जनपद मैनपुरी पर मु0अ0सं0: 323/20 धारा 18/20/22/60 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कराया गया है और अग्रिम आव''यक विधिक कार्यवाही सम्बन्धित थाना द्वारा जा रही है।

<u>जनपद कानपुर नगर/थाना बजरिया</u>

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **11 लाख 55 हजार रू0 नकद**
- **67.5 किलोग्राम अवैध गांजा**
- **3.460 किलोग्राम अवैध चरस**
- **700 ग्राम अवैध स्मैक**
- **103 टेबलेट डायजापाम**
- **06 नशीला इन्जेक्शन**
- **09 मोबाइल फोन**
- **02 दो पहिया वाहन**
- **05 एटीएम कार्ड**
- **34 विभिन्न बैंकों की पासबुक**
- **15 विभिन्न बैंको की चैक बुक बरामद**

दिनांक 20.08.2020 को थाना बजरिया पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान रामबाग चौराहा मोटर साइकिल सवार 02 अभियुक्तों 1.ऋषभ, 2. मुकेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशादेही पर अभियुक्त 3.निसार अहमद, 4.गोलू बाघमार को गिरफ्तार किया । पूछतांछ पर बताये गये पते पर तलाश की गयी तो उनका साथी सुशील फरार हो गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही पर विभिन्न स्थानों से 11 लाख 55 हजार रू0 नकद, 67.5 किलोग्राम अवैध गांजा, 3.460 किलोग्राम अवैध चरस, 700 ग्राम

अवैध स्मैक, 103 टेबलेट डायजापाम, 06 नशीला इन्जेक्शन, 09 मोबाइल फोन, 02 दो पहिया वाहन, 05 एटीएम कार्ड, 34 विभिन्न बैंकों की पासबुक, 15 विभिन्न बैंको की चेक बुक बरामद हुई। उक्त के कम अभियुक्त शुशील शर्मा के निशादेही पर

इस सम्बन्ध में थाना बजरिया पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. ऋषभ निवासी विजय नगर अम्बेडकर नगर थाना काकादेव जनपद कानपुर नगर।
2. मुकेश निवासी अम्बेडकर नगर थाना काकादेव जनपद कानपुर नगर।
3. निसार अहमद निवासी अर्मापुर थाना अर्मापुर जनपद कानपुर नगर।
4. गोलू बाघमार निवासी संगम टाकीज के पीछे थाना फजलगंज जनपद कानपुर नगर।

बरामदगी

1. 11 लाख 55 हजार रू0 नकद
2. 67.5 किलोग्राम अवैध गांजा
3. 3.460 किलोग्राम अवैध चरस
4. 700 ग्राम अवैध स्मैक
5. 103 टेबलेट डायजापाम
6. 06 नशीला इन्जेक्शन
7. 09 मोबाइल फोन
8. 02 दो पहिया वाहन
9. 05 एटीएम कार्ड
10. 34 विभिन्न बैंकों की पासबुक
11. 15 विभिन्न बैंको की चैक बुक

जनपद कानपुर नगर/थाना नौबस्ता

- **तीन अभियुक्त गिरफ्तार**
- **18 किलोग्राम अवैध गांजा, 2 किलो 790 ग्राम अवैध चरस**
- **बिक्री के 1,57,640 रू0 व 08 मोबाइल फोन आदि बरामद**

दिनांक 21.08.2020 को थाना नौबस्ता पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना नौबस्ता क्षेत्र से तीन शातिर अभियुक्तों 1—बबलू 2—प्रदीप 3—अनीता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 18 किलोग्राम अवैध गांजा, 2 किलो 790 ग्राम अवैध चरस, बिक्री के 1,57,640 रू0 व 08 मोबाइल फोन आदि बरामद हुये।

इस संबंध में थाना नौबस्ता पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–बबलू निवासी म0नं0 63 मछरिया थाना नौबस्ता कानपुर नगर।

2–प्रदीप निवासी म0नं0 63 मछरिया थाना नौबस्ता कानपुर नगर।

3–अनीता निवासी म0नं0 63 मछरिया थाना नौबस्ता कानपुर नगर।

बरामदगी

1–18 किलोग्राम अवैध गांजा, 2 किलो 790 ग्राम अवैध चरस।

2–बिक्री के 1,57,640 रू0 व 08 मोबाइल फोन

जनपद कानपुर नगर/थाना बर्रा

- **चार शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **बिक्री के 54,900 रू0 कीमत का 14 किलो 460 ग्राम अवैध गांजा बरामद**

दिनांक 21.08.2020 को थाना बर्रा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार गुजैनी गांव के पास से चार अभियुक्तों 1–सुभाष 2–अंजू 3–गीता 4–तारावती को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तो के कब्जे से बिक्री के 54,910 रू0 कीमत का 14 किलो 460 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुये।

इस संबंध में थाना बर्रा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सुभाष नि0 गुजैनी गांव थाना बर्रा कानपुर नगर।

2–अंजू नि0 गुजैनी गांव थाना बर्रा कानपुर नगर।

3–गीता नि0 गुजैनी गांव थाना बर्रा कानपुर नगर।

4–तारावती नि0 गुजैनी गांव थाना बर्रा कानपुर नगर।

बरामदगी

1–बिक्री के 54,910 रू0 कीमत का 14 किलो 460 ग्राम अवैध गांजा

जनपद गाजियाबाद/थाना लोनी

• हत्या की घटना में वांछित टॉप–10 व हिस्ट्रीशीटर अपराधी गिरफ्तार

दिनांक 20.08.2020 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सैन्ट स्टीफन हॉस्पिटल दिल्ली से शातिर अभियुक्त सुरेन्द्र उर्फ चिडिया उर्फ अजीत को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त टॉप–10 व हिस्ट्रीशीटर अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद के विभिन्न थानों में चोरी, डकैती, हत्या का प्रयास, हत्या, गैंगस्टर एक्ट व आर्म्स एक्ट आदि के 14 अभियोग पंजीकृत हैं एवं अभियुक्त थाना थाना ट्रोनिकासिटी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 299/2020 धारा 386/379/504/506 भादवि में व मु0अ0सं0 558/2020 धारा 302/120बी भादवि में वांछित चल रहा था। गिरफ्तार अभियुक्त के वियद्ध मा0न्यायालय से गैर जमानती वारण्ट जारी थे।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. सुरेन्द्र उर्फ चिडिया उर्फ अजीत निवासी ग्राम खरखडी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद।

जनपद बुलन्दशहर/थाना कोतवाली देहात

• 02 अभियुक्त गिरफ्तार

• लगभग 12.50 लाख रू0 कीमत का 02 कुन्तल 40 किलोग्राम अवैध गांजा

• 01 टाटा गाड़ी बरामद

दिनांक 20/21.08.2020 की रात्रि थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर वलीपुरा नहर रोड़ पर घेराबंदी कर 02 अभियुक्तों 1.सत्यप्रकाश, 2. छोटेलाल उर्फ ओमप्रकाश को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 12.50 लाख रू0 कीमत का 02 कुन्तल 40 किलोग्राम अवैध गांजा व 01 टाटा गाड़ी बरामद हुई।

पूछतांछ पर बरामद अवैध गांजा गैर प्रान्त से लाना स्वीकार किया।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. सत्यप्रकाश निवासी महरावर नंगलिया थाना गभाना जनपद अलीगढ़।
2. छोटेलाल उर्फ ओमप्रकाश निवासी बेगमबाग राजाजी का गड्डा थाना क्वार्सी जनपद अलीगढ़।

बरामदगी

1. लगभग 12.50 लाख रू0 कीमत का 02 कुन्तल 40 किलोग्राम अवैध गांजा
2. 01 टाटा गाड़ी

जनपद प्रयागराज/थाना सोरावं

- **25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर मय कारतूस बरामद**

दिनांक 21.08.2020 को थाना सोराव व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान भदी रेलवे क्रासिंग चाय की दुकान के पास घेराबंदी कर 25 हजार रू0 के पुरस्कार घोषित अपराधी आशिक अली को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बस्ती, जौनपुर, प्रतापगढ़, अमेठी व प्रयागराज के विभिन्न थानों मं चोरी, लूट, हत्या का प्रयास, हत्या, लूट, गैंगस्टर एक्ट व आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं एवं अभियुक्त थाना सोराव पर पंजीकृत मु0अ0सं0 493/2017 धारा 379/411 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर जनपद स्तर से 25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सोराव पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. आशिक अली निवासी नरवा थाना कोतवाली सिटी जनपद प्रतापगढ़।

<u>बरामदगी</u>

1. 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय कारतूस।

<u>जनपद सीतापुर/थाना महमूदाबाद</u>

- **15 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**

दिनांक 21.08.2020 को थाना महमूदाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान मोतीपुर से सिंधौली जाने वाली रोड से घेराबंदी कर 15 हजार रू0 के पुरस्कार घोषित अपराधी बृजेश को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद के विभिन्न थानों में चोरी, लूट, यूपी गैंगस्टर एक्ट व आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं एवं अभियुक्त थाना रामपुर मथुरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 238/2020 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर जनपद स्तर से 15 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1. बृजेश निवासी बिलासपुर थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर।

<u>जनपद बस्ती/थाना मुंडेरवा</u>

- **10 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर मय कारतूस**

दिनांक 20.08.2020 की सांय थाना मुंडरेवा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान थाना मुंडरेवा क्षेत्रान्तर्गत 10 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी रामसहाय को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद के विभिन्न थानों में चोरी, गैंगस्टर एक्ट व आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत हैं एवं अभियुक्त

थाना लालगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 268/2020 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर जनपद स्तर से 10 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय कारतूस बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना लालगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. रामसहाय निवासी कोड़रा थाना उमरी बेंगमगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी

1. 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद बहराइच/नानपारा

- **04 वाहन चोर गिरफ्तार**
- **चोरी की 19 मोटर साइकिलें आदि बरामद**

दिनांक 21.08.2020 को थाना नानपारा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान कुर्मीयनपुरवा बाईपास चौराहे पर घेराबंदी कर 04 वाहन चोर 1.सफीक हाजी उर्फ हाजी स्टोप, 2.सलमान, 3.फैज खॉ उर्फ सैफू, 4.फिरोज को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही पर चोरी की 19 मोटर साइकिलें आदि बरामद की गयी।

पूछतांछ पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि वह लोग जनपद बहराइच व आस–पास के जनपदों से वाहन की चोरी कर, उनकी नम्बर प्लेट बदलकर, फर्जी रजिस्ट्रेशन व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर ग्राहक मिलने पर बेच देते हैं।

इस सम्बन्ध में थाना नानपारा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. सफीक हाजी उर्फ हाजी स्टोप निवासी मोहल्ला मिरयासी टोला कस्बा नानपारा थाना कोतवाली नानपारा जनपद बहराइच।
2. सलमान निवासी सिसवारा थाना कोतवाली नानपारा जनपद बहराइच।
3. फैज खॉ उर्फ सैफू निवासी मेहतरन टोला कस्बा नानपारा थाना कोतवाली नानपारा जनपद बहराइच।

4. फिरोज निवासी मनवरिया दीवान थाना मल्हीपुर जनपद श्रावस्ती ।

<u>बरामदगी</u>

1. चोरी की 19 मोटर साइकिलें आदि।

<u>जनपद बागपत/थाना सिंघावली अहीर</u>

- **पुलिस कार्यवाही में शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस, 01 खोखा कारतूस**
- **01 मोटरसाइकिल बरामद**

दिनांक 21.08.2020 को थाना सिंघावली अहीर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान ग्राम तेडा नहर पटरी के पास बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त जहीर घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। मौके से एक अन्य बदमाश फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस, 01 खोखा कारतूस व 01 मोटरसाइकिल बरामद हुयी। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्व जनपद बागपत व हरियाणा प्रांत के विभिन्न थानो पर चोरी, डकैती, गैंगेस्टर एक्ट व आर्म्स एक्ट आदि के 15 अभियोग पंजीकृत है।

इस संबंध में थाना सिंघावली अहीर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—जहीर निवासी डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

<u>बरामदगी</u>

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस, 01 खोखा कारतूस।

2—01 मोटरसाइकिल।

जनपद महोबा/थाना श्रीनगर

दिनांक 21.08.2020 को थाना श्रीनगर के कस्बा भैरोगंज में वृद्ध दम्पत्ति की हत्या के संबंध में वादी श्री प्रेमचन्द्र पुत्र स्व0 गंगाधर नि0 कस्बा भैरोगंज थाना श्रीनगर द्वारा पीड़ित ने लिखित सूचना दिया कि उसकी पत्नी की बहन का देवर देवपाल अपने एक मित्र मोहित के साथ उनके घर पर दि0 19.08.2020 को आया था, उनके द्वारा माता भुम्मन व पिता गंगाधर की हत्या कर दी गयी। इस सूचना पर थाना श्रीनगर पर मु0अ0सं0 141/2020 धारा 302 भादवि बनाम 1–देवपाल नि0 ग्राम पहरा थाना जरिया जनपद हमीरपुर 2–मोहित के विरूद्व पंजीकृत किया गया। घटनास्थल का निरीक्षण वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा किया गया तथा फील्ड युनिट द्वारा मौके का मुआयना किया गया। घटना में नामजद अभियुक्त देवपाल को गिरफ्तार कर उसकी निशादेही पर आलाकत्ल बरामद कर लिया गया है तथा टीम गठित कर दूसरे अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

जनपद कन्नौज/थाना कोतवाली

दिनांक 21.08.2020 को वादी गोविन्द निवासी शाहपुर माल्हा थाना शिवराजपुर जनपद कानपुर नगर ने थाना कोतवाली पर प्रार्थना दिया कि उसकी बहन सविता का विवाह वर्ष 2014 में पवन उर्फ मुरारी पुत्र स्व0 ओम प्रकाश निवासी हौदा पुरवा थाना व जनपद कन्नौज के साथ हुआ था। विवाह के पश्चात ही उसकी बहन के साथ मारपीट की घटनायें घटित होने लगी। बहन के पति पवन उर्फ मुरारी, जेठ वीर सिंह, जेठ राजीव, वीर सिंह की पत्नी तथा राजीव की पत्नी द्वारा एक राय होकर दहेज के लिये उसकी बहन सविता से अतिरिक्त दहेज की मांग करते थे। दिनांक 20.08.2020 को पवन उर्फ मुरारी का अपनी पत्नी सविता उम्र लगभग 24 वर्ष के साथ विवाद हो गया था, जिससे वह नाराज होकर अपने बच्चों को लेकर अपने मायके कानपुर नगर चली गयी थी। विवाद शांति कराने हेतु रात्रि लगभग 11.30 बजे अपनी मां कलावती के साथ वापस आयी तो उपरोक्त पांचो द्वारा उसकी बहन सविता व मां कलावती की हत्या कर दी गयी।

इस सूचना पर थाना कोतवाली कन्नौज पर मु0अ0सं0 484/2020 धारा 147/148/149/498ए/304 बी/302 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। घटनास्थल का निरीक्षण वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा किया गया। मुख्य आरोपी पति पवन उर्फ मुरारी को हिरासत में लेकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

––––